RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
अक्टूबर
31
2024

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index

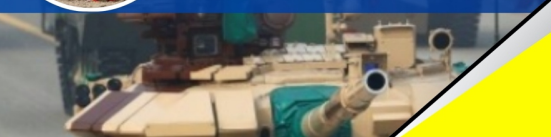

By Ankit Avasthi Sir

केंद्र 2025 में जनगणना शुरू करेगा / Centre to launch census in 2025

केंद्र सरकार 2021 में कोविड-19 के कारण स्थगित हुई जनगणना को 2025 में कराने की तैयारी कर रही है। जबकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन यह संभावना है कि जनगणना अगले वर्ष शुरू होगी। यह प्रक्रिया विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह दो प्रमुख मुद्दों से जुड़ी है:

1. **संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन**: जो पिछले पांच दशकों से रुका हुआ है।
2. **संसद में महिला आरक्षण का कार्यान्वयन**।

भारत की जनगणना:

भारत में जनगणना का कार्य 1881 से हर दशक में किया जा रहा है। 2021 की जनगणना पहली बार अपने निर्धारित समय से चूक गई। महामारी के प्रभाव कम होने के बाद, सरकार ने इसे 2023 या 2024 में कराने की योजना बनाई थी, लेकिन यह प्रतीत होता है कि इसे निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए स्थगित कर दिया गया है।

जनगणना का महत्व:

- **आकड़ों का संग्रह**: जनसंख्या जनगणना स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन, जनसांख्यिकी, संस्कृति और आर्थिक संरचना के बारे में बुनियादी आंकड़े प्रदान करती है।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**: पहली जनगणना 1872 में गैर-समकालिक रूप से आयोजित की गई थी, जबकि पहली समकालिक जनगणना 1881 में हुई थी।

कानूनी और संवैधानिक आधार

- **संविधानिक प्रावधान**: जनसंख्या जनगणना भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची (प्रविष्टि 69) में सूचीबद्ध है।
- **जनगणना अधिनियम, 1948**: जनगणना इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है।

जनगणना प्रक्रिया:

भारत में जनगणना कार्य निम्नलिखित दो चरणों में किया जाता है:

1. **मकानसूचीकरण और आवास जनगणना**
2. **जनसंख्या गणना**: यह आवास जनगणना के बाद छह से आठ महीने के अंतराल पर की जाती है। जनसंख्या की गणना फरवरी में होती है, जिसमें आंकड़े जनगणना वर्ष के 1 मार्च की मध्य रात्रि तक की जनसंख्या को दर्शाते हैं।

जनसंख्या गणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाती है और उसकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म, मातृभाषा आदि दर्ज की जाती है।

परिसीमन और उसका निलंबन:

- **परिभाषा**: परिसीमन का मतलब है संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, ताकि जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
- **संविधानिक प्रावधान**: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के तहत, संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आवंटन को समायोजित करने का अधिकार है।
- **स्थगन**: राजनीतिक मतभेदों के कारण, परिसीमन की प्रक्रिया 1976 से स्थगित कर दी गई है। 2001 की जनगणना के बाद, 2002 के परिसीमन में केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया, सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

तत्काल परिसीमन की चुनौतियाँ:

- 84वां संविधान संशोधन "वर्ष 2026 के बाद की गई पहली जनगणना" के जनगणना आंकड़ों के आधार पर परिसीमन को प्रतिबंधित करता है।
- यदि जनगणना 2025 में शुरू होकर 2026 में पूरी होती है, तो भी बिना संशोधन के तत्काल परिसीमन संभव नहीं हो सकेगा।

राजनीतिक सहमति की चुनौतियाँ:

- परिसीमन के लिए दक्षिणी राज्यों का समर्थन मुआवजा या अन्य आश्वासन पर निर्भर हो सकता है।
- संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए पारित 128वें संविधान संशोधन को लागू करने से पहले परिसीमन की आवश्यकता है, जिससे परिसीमन आगामी राजनीतिक सुधारों से अधिक जुड़ जाएगा।

16वें वित्त आयोग की भूमिका: 16वां वित्त आयोग अगले वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पर विचार करेगा। इससे परिसीमन के संबंध में राज्य स्तरीय वार्ता प्रभावित हो सकती है।

जातिगत आंकड़ों की मांग:

- **जातिगत आंकड़े**: अगली जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल किए जाने की संभावना है, जिससे कुछ राजनीतिक दलों की जातिगत जनगणना की मांग को पूरा किया जा सके।
- **पृष्ठभूमि**: ब्रिटिश भारत की जनगणना (1881-1931) में जातियों की गणना की गई थी। 1951 की जनगणना में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को छोड़कर अन्य जातियों की गणना नहीं की गई।
- **सरकारी सिफारिशें**: 1961 में, भारत सरकार ने राज्यों को ओबीसी के लिए अपने सर्वेक्षण करने की सिफारिश की थी, जबकि जनगणना एक संघ विषय है, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 राज्यों और स्थानीय निकायों को आवश्यक आंकडे एकत्र करने की अनुमति देता है।

उर्वरक आयात में भारत को चुनौतियाँ/ Challenges for India in fertilizer import

भारत, एक कृषि प्रधान देश होने के नाते, उर्वरक आयात में कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो उसकी खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को प्रभावित कर सकती हैं। वर्तमान वैश्विक संकटों, जैसे यूक्रेन और गाजा संघर्ष, के चलते उर्वरक की उपलब्धता और कीमतों में उतार-चढ़ाव आ रहा है।

1. आयात पर निर्भरता: भारत की घरेलू उर्वरक उत्पादन क्षमता उसकी कुल मांग को पूरा नहीं कर पाती, जिसके कारण आयात पर निर्भरता बढ़ रही है। संसद की स्थायी समिति की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार:

- **यूरिया**: घरेलू आवश्यकता का 20% आयात किया जाता है।
- **डीएपी**: 50-60% मांग आयात से पूरी की जाती है।
- **एमओपी**: आयात पर 100% निर्भरता।

2. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान : यूक्रेन संकट ने खाद्य और उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है, जिससे कीमतों में वृद्धि और उपलब्धता में कमी हो रही है। इसी तरह, गाजा संकट भी वैश्विक बाजार पर असर डाल रहा है।

3. कृषि उत्पादकता में कमी: भारत में कई छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनकी उत्पादकता निम्न है। खेती मुख्यत: वर्षा पर निर्भर करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आ रही है। एक ही भूमि पर लगातार फसलें उगाने से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

4. स्थानीय उत्पादन में कमी: 2021-22 में भारत की वार्षिक उर्वरक खपत 579.67 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि घरेलू उत्पादन केवल 435.95 लाख मीट्रिक टन रहा। इस कमी के कारण एमओपी का पूरा आयात करना पड़ता है।

5. कीमतों में वृद्धि: वैश्विक बाजार में उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि, विशेष रूप से प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी, उर्वरक उत्पादन की लागत को प्रभावित कर रही है। इसका परिणाम कृषि लागत में वृद्धि के रूप में सामने आता है, जो किसानों की आय को कम करता है।

6. नीतिगत चुनौतियाँ: उर्वरक के उपयोग में संतुलन बनाने के लिए प्रभावी नीतियों की आवश्यकता है। नीतिगत निर्णय अक्सर विभिन्न हितधारकों के बीच राजनीतिक मतभेदों के कारण प्रभावित होते हैं, जिससे स्थायी समाधान खोजना कठिन हो जाता है।

यूक्रेन और गाजा संघर्ष का प्रभाव:

- **खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ)** के वरिष्ठ अर्थशास्त्री निकोलस सिटको ने यूक्रेन और गाजा संघर्ष के कारण उर्वरक कीमतों में संभावित अस्थिरता पर प्रकाश डाला है। यह अशांति निम्नलिखित तरीकों से भारतीय कृषि और उर्वरक बाजार को प्रभावित कर सकती है:

1. तेल की कीमतों पर असर: संघर्षों के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे पेट्रोलियम आधारित उर्वरक उत्पादन महंगा हो जाएगा। चूंकि उर्वरक उत्पादन में ऊर्जा एक प्रमुख घटक है, तेल की बढ़ती कीमतें उत्पादन लागत को सीधे प्रभावित करेंगी।

2. आपूर्ति श्रृंखला में बाधा: भारत के उर्वरक आयात के दो महत्वपूर्ण स्रोत, रूस और पश्चिम एशिया, इन संघर्षों से प्रभावित हो सकते हैं। आयात में रुकावट से उर्वरक की उपलब्धता कम हो सकती है, जो कीमतों में और वृद्धि का कारण बनेगी।

3. उर्वरक सब्सिडी का वित्तीय बोझ: भारत सरकार ने उर्वरक की सामर्थ्य को बनाए रखने के लिए 2023-24 के बजट में भारी सब्सिडी आवंटित की है:

- **कुल सब्सिडी**: ₹1.79 लाख करोड़
- **स्वदेशी यूरिया सब्सिडी**: ₹1.04 लाख करोड़
- **आयातित यूरिया सब्सिडी**: ₹31,000 करोड़
- **स्वदेशी पीएंडके उर्वरक सब्सिडी**: ₹25,500 करोड़
- **आयातित पीएंडके उर्वरक सब्सिडी**: ₹18,500 करोड़

आत्मनिर्भरता के लिए रणनीतिक पहल: विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कुछ प्रमुख रणनीतियों को अपनाना चाहिए:

1. नए यूरिया संयंत्र: 2012 की निवेश नीति के बाद से, छह नए यूरिया संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिससे भारत की उत्पादन क्षमता में 76.2 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। वर्तमान में, 36 यूरिया संयंत्र सक्रिय हैं, जिनमें रामगुंडम, गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

2. टिकाऊ उर्वरकों की ओर बदलाव: नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती पर जोर देने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम किया जा सकता है। यह न केवल लागत को कम करेगा, बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी बेहतर बनाएगा।

3. घरेलू उत्पादन में निवेश: स्थायी समिति ने उर्वरक विनिर्माण में सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्रों से निवेश को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है। इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

नीतिगत सिफारिशें और भविष्य का दृष्टिकोण: स्थायी समिति ने निम्नलिखित नीतिगत सिफारिशें की हैं:

- **उर्वरक विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन बढ़ाना**: उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ठोस नीतियां बनाना आवश्यक है।
- **नैनो यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करना**: यह उर्वरक की आवश्यकता को कम करने और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करेगा।
- **जैविक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करना**: दीर्घकालिक स्थिरता के लिए ये पद्धतियाँ महत्वपूर्ण हैं।
- **बुनियादी ढांचे में निवेश करना**: मौजूदा उर्वरकों का बेहतर और कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है।

भारत में औषधीय खाद्य पदार्थों के लिए नियामक ढांचे की आवश्यकता/ Need for a regulatory framework for medicinal foods in India

भारत और वैश्विक स्वास्थ्य तथा कल्याण उद्योग में औषधीय खाद्य पदार्थों के लिए मजबूत विनियमन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। हाल ही में, ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा वित्तपोषित एक अध्ययन में यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांस-डिसिप्लिनरी हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (TDU), बेंगलुरु और यूके में रॉयल बोटेनिक गार्डन के शोधकर्ताओं ने खाद्य और औषधीय पौधों के उपयोग के बीच ओवरलैप की जांच की। यह अध्ययन स्पष्ट नियामक मानकों की आवश्यकता को रेखांकित करता है ताकि औषधीय खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

औषधीय खाद्य पदार्थ: विनियामक ढांचे में एक लुप्त श्रेणी

- शोधकर्ता चिकित्सीय उपयोग के लिए पौधों पर आधारित यौगिकों की खोज में लगे हुए हैं, जैसे कि हल्दी के सक्रिय घटक कर्क्यूमिन, जिसने सूजन और कुछ प्रकार के कैंसर के उपचार में संभावनाएं दिखाई हैं।
- परंपरागत उपयोग में शामिल खुराक अक्सर नैदानिक परीक्षणों में दी जाने वाली खुराक की तुलना में बहुत कम होती है, जिससे उनकी सुरक्षा और प्रभावकारिता के बारे में सवाल उठते हैं जब बड़ी चिकित्सीय खुराक में उनका उपयोग किया जाता है।

न्यूट्रास्युटिकल्स की मांग:

न्यूट्रास्युटिकल्स खाद्य सामग्री हैं जो बुनियादी पोषण से परे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं, और संभावित औषधीय लाभ भी देती हैं।

न्यूट्रास्युटिकल्स के बारे में:

- **परिभाषा**: न्यूट्रास्युटिकल एक व्यापक शब्द है जो खाद्य स्रोतों से प्राप्त किसी भी उत्पाद का वर्णन करता है, जिसमें खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले बुनियादी पोषण मूल्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ होते हैं।
- **उद्देश्य**: इन्हें सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, लक्षणों को नियंत्रित करने, और घातक प्रक्रियाओं को रोकने के लिए गैर-विशिष्ट जैविक उपचार माना जा सकता है।
- **शब्द की उत्पत्ति**: "न्यूट्रास्युटिकल" शब्द "न्यूट्रिएंट" (एक पौष्टिक खाद्य घटक) और "फार्मास्युटिकल" (एक चिकित्सा दवा) के संयोजन से बना है।
- **वर्गीकरण**: इन्हें उनके प्राकृतिक स्रोतों, औषधीय स्थितियों, और उत्पादों की रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य वर्गीकरण में आहार पूरक, कार्यात्मक भोजन, औषधीय भोजन, और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं।

औषधीय खाद्य सुरक्षा में नियामक अंतराल:

- भारत सहित कई देशों में खाद्य और औषधियों को अलग-अलग निकायों द्वारा विनियमित किया जाता है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) खाद्य पदार्थों की देखरेख करता है, जबकि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) औषधियों को नियंत्रित करता है।
- इस विभाजन के परिणामस्वरूप एक एकीकृत ढांचे की कमी है, जिससे खाद्य और औषधियों की सुरक्षा एवं प्रभावकारिता के लिए अलग-अलग विनियामक मानकों के कारण उपभोक्ताओं के लिए संभावित जोखिम उत्पन्न होते हैं।

औषधीय खाद्य पदार्थों के लिए समर्पित श्रेणी की आवश्यकता:

- कई पौधों की दोहरी प्रकृति को देखते हुए, औषधीय खाद्य पदार्थों के लिए एक नई विनियामक श्रेणी की स्थापना से स्पष्टता मिलेगी।
- उदाहरण के लिए, यूके की मेडिसिन्स एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी (MHRA) खाद्य पदार्थों और दवाओं के बीच आने वाले "सीमावर्ती उत्पादों" को मान्यता देती है।
- यह मॉडल भारत के लिए भी उपयुक्त हो सकता है, जिससे स्पष्ट विनियामक दिशा-निर्देश स्थापित किए जा सकें।

महत्वपूर्ण औषधीय पौधे:

1. **गिलोय (टीनोस्पोरा कॉर्डीफोलिया)**: आयुर्वेद में गिलोय का पारंपरिक उपयोग इसके तने के लिए होता है। हालाँकि, आधुनिक अनुप्रयोगों में इसके पत्तों और जड़ों का भी उपयोग किया जाता है, जिससे इसके औषधीय प्रभाव में बदलाव आ सकता है।
2. **अश्वगंधा (विथानिया सोम्नीफेरा)**: यह आमतौर पर औषधीय प्रयोजनों के लिए केवल जड़ के रूप में प्रयोग होती है, लेकिन उपभोक्ता उत्पादों की लेबलिंग में अक्सर जानकारी की कमी होती है।
3. **भृंगराज (एक्लिप्टा प्रोस्ट्रेटा)**: इसे बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है और कुछ क्षेत्रों में स ज़ी के रूप में भी खाया जाता है। फिर भी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (IFCT) 2017 इसके लिए पोषण संबंधी जानकारी प्रदान नहीं करता, जो औषधीय खाद्य पदार्थों के स्पष्ट दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता को दर्शाता है।

नियामक निकायों के लिए आगे का रास्ता:

भारत और अन्य राष्ट्रों को औषधीय खाद्य पदार्थों के लिए विशेष रूप से एक नियामक ढांचे से लाभ होगा। आदर्श रूप से, एक केंद्रीय प्राधिकरण पौधों के खाद्य और औषधीय उपयोग दोनों की देखरेख करेगा।

- **मानकीकृत पादप नामकरण प्रणाली**: यह वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, और विनियामक क्षेत्रों में विसंगतियों को रोक सकेगी, जिससे उपयोगकर्ताओं को सही जानकारी मिल सकेगी।
- **सुसंगत विनियामक प्रणाली**: उपभोक्ताओं को औषधीय खाद्य पदार्थों से जुड़े संभावित जोखिमों से सुरक्षा मिलेगी, उद्योग की विश्वसनीयता बढ़ेगी, और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

भारत में चुनाव व्यय/ Election expenditure in india

2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति और कांग्रेस चुनावों का **कुल व्यय लगभग 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹1,36,000 करोड़)** होने का अनुमान है। वहीं, भारत में सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) के अनुसार, इस वर्ष लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा **कुल व्यय लगभग ₹1,00,000 करोड़ था।**

भारत में चुनाव व्यय सीमा:

- **लोकसभा चुनाव**: बड़े राज्यों में प्रति निर्वाचन क्षेत्र खर्च की सीमा 95 लाख रुपये और छोटे राज्यों में 75 लाख रुपये है।
- **विधानसभा चुनाव**: बड़े राज्यों के लिए ₹40 लाख और छोटे राज्यों के लिए ₹28 लाख की सीमा निर्धारित की गई है।
- इन सीमाओं को समय-समय पर चुनाव आयोग द्वारा अपडेट किया जाता है।
- चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के खर्च की कोई निश्चित सीमा नहीं होती।

वैश्विक मानक:

- **संयुक्त राज्य अमेरिका**: चुनावों का वित्तपोषण मुख्य रूप से व्यक्तियों, निगमों और राजनीतिक कार्रवाई समितियों (PACs) के योगदान से होता है। कुछ सुपर PACs पर खर्च की कोई सीमा नहीं है।
- **ब्रिटेन**: किसी राजनीतिक दल को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए 54,010 पाउंड खर्च करने की अनुमति है। प्रचार अवधि के दौरान उम्मीदवारों के खर्च पर भी सीमाएं लगाई गई हैं।

उच्च चुनावी व्यय से संबंधित चिंताएँ:

1. **प्रतिनिधित्व में असमानता**: धनी उम्मीदवार या पार्टियां चुनावों पर हावी हो जाती हैं, जिससे कम संसाधन वाले लोग हाशिए पर चले जाते हैं और विविध प्रतिनिधित्व की कमी हो जाती है।
2. **भ्रष्टाचार**: यह उम्मीदवारों को भ्रष्ट आचरण में संलग्न होने के लिए प्रेरित कर सकता है, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना या चुनाव परिणामों में हेरफेर करना।
3. **प्रवेश अवरोध का निर्माण**: व्यय में वृद्धि, जो मुख्य रूप से बड़े दान के माध्यम से पूरी की जाती है, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पक्षपात चाहने वाले दाताओं के बीच एक अपवित्र गठजोड़ बनाती है। इससे चुनावी राजनीति में प्रवेश में बाधा उत्पन्न होती है।

निष्कर्ष: भारत में चुनाव व्यय की चुनौतियाँ और संभावित सुधार लोकतंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि सही तरीके से लागू किए जाएं, तो ये सुधार न केवल चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बना सकते हैं, बल्कि समान प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक मानदंडों की भी रक्षा कर सकते हैं।

सुझाए गए सुधार:

- **राज्य द्वारा वित्त पोषण**: इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998) और विधि आयोग की रिपोर्ट (1999) ने चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण की वकालत की है। इसका अर्थ है कि सरकार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नामित उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का आंशिक रूप से वहन करेगी।
- **साथ में चुनाव कराना**: बढ़ते चुनाव व्यय के मुद्दे से निपटने के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य चुनावों की आवृत्ति और उनसे जुड़ी लागत को कम करना है।
- **चुनाव सुधार पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट (2016)**:
  - कानून में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार को दी जाने वाली 'वित्तीय सहायता' भी उम्मीदवार की निर्धारित चुनाव व्यय सीमा के भीतर होनी चाहिए।
  - राजनीतिक दलों के व्यय पर भी एक सीमा होनी चाहिए।
  - चुनाव संबंधी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, जो इन मानदंडों के उल्लंघन के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करेंगे।

स्टेम सेल प्रत्यारोपण/ stem cell transplant

हाल ही में साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण (HSCT) कराने वाले मरीजों के दीर्घकालिक परिणामों का विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि प्रत्यारोपित स्टेम कोशिकाएँ समय के साथ कैसे विकसित और उत्परिवर्तित होती हैं।

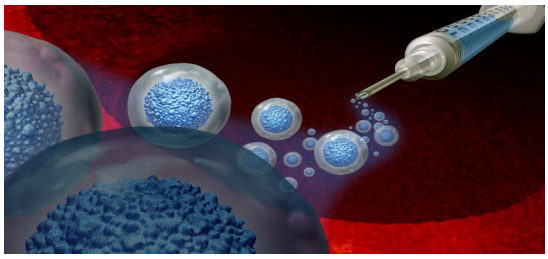

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- **उत्परिवर्तन दर**: इस शोध में दानकर्त्ताओं और प्राप्तकर्त्ताओं के 16 जोड़ों को शामिल किया गया। इसमें आश्चर्यजनक रूप से उत्परिवर्तन दर काफी कम पाई गई: दानकर्त्ताओं में औसतन 2% और प्राप्तकर्त्ताओं में 2.6% प्रतिवर्ष।
- **क्लोनल विस्तार**: यह खोज दशकों तक स्टेम कोशिकाओं के स्थिर क्लोनल विस्तार का संकेत देती है, जो यह दर्शाती है कि सभी दाताओं ने क्लोनल हेमेटोपोइसिस का कुछ स्तर प्रदर्शित किया। व्यापक क्लोनल विस्तार की अनुपस्थिति अस्थि मज्जा की मजबूत पुनर्योजी क्षमता को इंगित करती है।

निहितार्थ:

- **दीर्घकालिक प्रत्यारोपण परिणामों में सुधार**: यह अध्ययन दीर्घकालिक प्रत्यारोपण परिणामों में सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **रक्त कैंसर का जोखिम**: क्लोनल हेमेटोपोइसिस की उपस्थिति के कारण प्राप्तकर्त्ताओं में रक्त कैंसर या दीर्घकालिक रोग विकसित होने का संभावित जोखिम बढ़ सकता है।

नोट: क्लोनल हेमेटोपोइसिस तब होती है जब रक्त प्रणाली में एक प्रकार की रक्त कोशिका की संख्या अन्य प्रकारों की तुलना में बढ़ जाती है। सामान्य उदाहरणों में क्रोनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया और मायलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम (MDS) शामिल हैं।

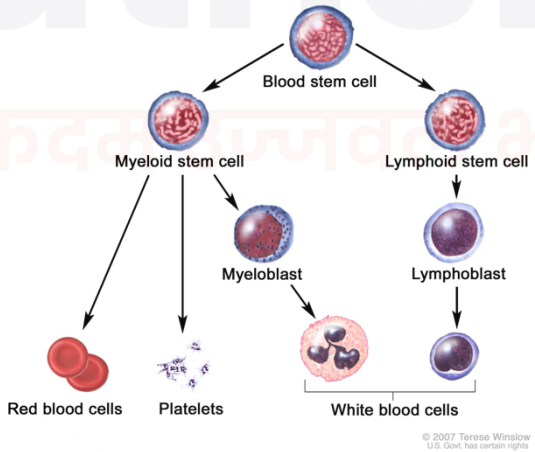

निष्कर्ष: हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण एक महत्त्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया है जो रक्त कैंसर और अन्य रक्त विकारों से प्रभावित रोगियों के लिए जीवन रक्षक हो सकती है। नए शोधों से इस प्रक्रिया की सुरक्षा और प्रभावशीलता में सुधार की संभावनाएँ खुलती हैं, विशेषकर दीर्घकालिक परिणामों को बेहतर बनाने में।

हेमेटोपोइएटिक स्टेम कोशिकाएँ (HSC) क्या हैं?

- **स्टेम कोशिकाएँ**: ये विशेष कोशिकाएँ हैं जो अन्य विशिष्ट कार्य करने वाली कोशिकाओं में विकसित हो सकती हैं।
- **हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल (HSC)**: ये अपरिपक्व कोशिकाएँ हैं जो सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं, जैसे श्वेत रक्त कोशिकाएँ, लाल रक्त कोशिकाएँ और प्लेटलेट्स में विकसित होने में सक्षम हैं। HSC को पहली बार 1950 के दशक में मनुष्यों में उपयोग के लिए खोजा गया था।
- **स्थान**: हेमेटोपोइएटिक स्टेम कोशिकाएँ परिधीय रक्त और अस्थि मज्जा में स्थित होती हैं, जिन्हें रक्त स्टेम कोशिकाएँ भी कहा जाता है।

HSC का प्रत्यारोपण:

- **उद्देश्य**: निष्क्रिय या क्षीण अस्थि मज्जा वाले रोगियों को स्वस्थ हेमेटोपोइटिक स्टेम कोशिकाएँ प्रदान की जाती हैं।
- **फायदा**: हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण से रक्त कैंसर से पीड़ित लोगों की जान बचाई जा सकती है। प्रत्यारोपण के बाद, दान की गई स्टेम कोशिकाएँ प्राप्तकर्ता की रक्त कोशिका उत्पादन प्रणाली को संतुलित करने में मदद करती हैं।

भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) का विस्तार/ Expansion of Indian Sign Language (ISL)

हाल ही में भारत ने भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) शब्दकोष में लगभग **2,500 नए शब्द** जोड़े हैं, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी के शब्द शामिल हैं, जैसे- आधार कार्ड, ब्लॉकचेन, उरसा नेबुला आदि। यह कदम बधिर समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके संवाद और सहभागिता को बेहतर बनाता है, विशेषकर वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और इंटरनेट संबंधों में।

अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस:

- **तारीख**: 23 सितंबर
- **घोषणा**: संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2017 में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसे पहली बार 2018 में मनाया गया।
- **थीम 2024**: "सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए साइन अप करें"

विश्व बधिर संघ (WFD):

- **स्थापना**: 23 सितंबर, 1951 को हुई थी। WFD बधिर समुदाय के अधिकारों और उनकी सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

ISL शब्दकोष के विस्तार के लाभ:

- **बधिर समुदाय की सहभागिता**: नए शब्दों का समावेश बधिर समुदाय की सहभागिता को बढ़ाता है, जिससे वे सामाजिक, वैज्ञानिक और तकनीकी चर्चा में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं।
- **शोध और शिक्षा**: ISL शब्दकोष के विस्तार का नेतृत्व **भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC)** ने किया है। यह केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित है।

भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC) के बारे में:

भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC) की स्थापना **28 सितंबर 2015** को **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860** (पंजीकरण संख्या S/1440/2016) के तहत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वावधान में की गई थी।

- **विज़न:** एक ऐसा समाज बनाना जिसमें विकलांग व्यक्तियों के विकास और प्रगति के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि वे उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें।
- **मिशन:** अपने विभिन्न अधिनियमों/संस्थाओं/संगठनों और पुनर्वास योजनाओं के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना तथा ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना, जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करे और उन्हें समाज के स्वतंत्र और उत्पादक सदस्य के रूप में भाग लेने में सक्षम बनाए।

ISLRTC के उद्देश्य:

1. **जनशक्ति का विकास**: भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) के प्रयोग और द्विभाषिकता सहित ISL में शिक्षण एवं अनुसंधान के लिए जनशक्ति का विकास करना।
2. **शैक्षिक मोड का बढ़ावा**: प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर बधिर छात्रों के लिए ISL के उपयोग को बढ़ावा देना।
3. **अनुसंधान और सहयोग**: भारत और विदेश में विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग के माध्यम से अनुसंधान करना, जिसमें ISL कोष (शब्दावली) का निर्माण और भाषाई अभिलेख/विश्लेषण तैयार करना शामिल है।
4. **प्रशिक्षण कार्यक्रम**: सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों, पेशेवरों, सामुदायिक नेताओं और आम जनता को ISL को समझने और उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना।
5. **सहयोग और प्रचार**: बधिर संगठनों और विकलांगता के क्षेत्र में अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग कर ISL को बढ़ावा देना और प्रसारित करना।
6. **जानकारी का संग्रहण**: विश्व के अन्य भागों में प्रयुक्त सांकेतिक भाषाओं से संबंधित जानकारी एकत्रित करना ताकि इस इनपुट का उपयोग ISL को उन्नत करने में किया जा सके।

तेज़ गश्ती जहाज़
fast patrol vessel

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने हाल ही में दो तेज़ गश्ती पोत (FPV) 'आदम्या' और 'अक्षर' का लॉन्च किया है। यह कदम समुद्री सुरक्षा और स्वदेशी विनिर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. **निर्माण**: ये जहाज़ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) द्वारा निर्मित किए गए हैं, जिनमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। यह दोनों जहाज़ 473 करोड़ रुपये मूल्य के कुल आठ जहाज़ों के अनुबंध का हिस्सा हैं।
2. **आयाम**:
   - **लंबाई**: 52 मीटर
   - **चौड़ाई**: 8 मीटर
   - **विस्थापन**: 320 टन

3. **प्रदर्शन**:
   - ये जहाज़ नियंत्रण योग्य पिच प्रोपेलर-आधारित प्रणोदन प्रणाली से सुसज्जित हैं।
   - इनकी अधिकतम गति 27 नॉट्स है।

प्राथमिक भूमिकाएँ:

1. **मत्स्य संरक्षण**: भारतीय जलक्षेत्र में विदेशी ट्रॉलरों की निगरानी करना।
2. **तटीय गश्ती**: विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और तटीय क्षेत्रों की नियमित गश्ती करना।
3. **तस्करी विरोधी**: भारतीय समुद्री क्षेत्र में तस्करी गतिविधियों को रोकने में सहायता करना।
4. **खोज एवं बचाव**: संकटग्रस्त जहाज़ों या व्यक्तियों के लिए खोज एवं बचाव मिशन संचालित करना।
5. **संचार लिंक**: संघर्ष या आपात स्थिति के दौरान आवश्यक संचार चैनल प्रदान करना।
6. **अनुरक्षण सेवाएँ**: शत्रुता या युद्धकालीन परिस्थितियों के दौरान तटीय काफिलों का अनुरक्षण करना।

निष्कर्ष: इन तेज़ गश्ती जहाज़ों का लॉन्च भारत के समुद्री सुरक्षा ढाँचे को मजबूत करने और स्वदेशी विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल भारतीय जलक्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि तटरक्षक बल की क्षमताओं को भी बढ़ाएगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
National Disaster Management Authority (NDMA)

अक्टूबर, 2024 को NDMA का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस वर्ष के स्थापना दिवस का विषय है **"व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता के माध्यम से आपदा जोखिम को कम करने के लिए समुदायों को सशक्त बनाना।"**

NDMA की स्थापना और संरचना:

- **स्थापना**: NDMA की स्थापना वर्ष **2005** में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत की गई थी।
- **अध्यक्षता**: यह भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है।
- **कार्य क्षेत्र**: यह गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

प्रमुख प्रभाग: NDMA में पांच प्रमुख प्रभाग होते हैं:

1. **नीति एवं योजना प्रभाग**
2. **प्रशमन प्रभाग**
3. **प्रचालन प्रभाग**
4. **संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग**
5. **प्रशासन और वित्त प्रभाग**

कार्य:

- **नीतियों का निर्धारण**: आपदा प्रबंधन के संबंध में नीतियों का निर्धारण करना।
- **राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन**: राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन करना और मंत्रालयों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन करना।
- **राज्य योजना का मार्गदर्शन**: राज्य प्राधिकरणों द्वारा राज्य योजना तैयार करने में दिशानिर्देशों का निर्धारण करना।
- **दिशानिर्देशों का निर्धारण**: विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम और उसके प्रभावों के शमन के उपायों को एकीकृत करने के लिए दिशानिर्देशों का निर्धारण करना।
- **समन्वय**: नीति और योजना के लिए प्रयासों और कार्यान्वयन को समन्वित करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहायता**: केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रमुख आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को सहायता प्रदान करना।
- **आपदा प्रबंधन के उपाय**: आपदा की रोकथाम, तैयारी, क्षमता निर्माण और शमन के लिए आवश्यक उपाय करना।

निष्कर्ष: NDMA भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक प्रमुख निकाय है, जो न केवल आपदा की रोकथाम और शमन के उपायों को सुनिश्चित करता है, बल्कि समुदायों को सशक्त बनाने और जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर देता है। इसके स्थापना दिवस का विषय यह दर्शाता है कि आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है।

कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया (CERT-In)
Computer Emergency Response Team of India (CERT-In)

हाल ही में **लोअर मनैर डैम** (तेलंगाना) में पहली बार **150 से 200** की संख्या में भारतीय स्कीमर पक्षी देखे गए हैं। सामान्यत: ये पक्षी सर्दियों के दौरान आंध्र प्रदेश के **काकीनाडा** बंदरगाह पर प्रवास करते हैं।

भारतीय स्कीमर के बारे में:

- **वैज्ञानिक नाम**: रिनकॉप्स एल्बिकॉलिस
- **शारीरिक विशेषताएँ**:
  - **लंबाई:** 40-43 सेमी
  - **ऊपरी भाग:** काला
  - माथा, गर्दन और निचला भाग: सफेद
  - **चोंच:** लंबी, मोटी, गहरे नारंगी रंग की, जिसके सिरे पर पीला रंग होता है।
- **भोजन**: यह मछलियों, छोटे क्रस्टेशियंस और कीट लार्वा को खाता है।
- **आवास**: पहले यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में यह केवल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार तक ही सीमित है।
  - इसे **लाओ पीडीआर**, **कंबोडिया** और **वियतनाम** में विलुप्त माना जाता है।
- **जनसंख्या**: वर्ष 2021 में **बर्डलाइफ इंटरनेशनल** ने कुल आबादी का अनुमान **3,700 से 4,400** व्यक्तियों के बीच लगाया है।
- **IUCN स्थिति**: **IUCN की रेड लिस्ट** में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है।

भारतीय स्कीमर के अस्तित्व को निम्नलिखित कारणों से खतरा है:

- जलीय आवास की क्षति
- नदियों पर बांध निर्माण
- नदियों के प्रवाह में बाधा
- अंधाधुंध शिकार

संरक्षण के लिए उठाए गए कदम:

1. **स्कीमर के संरक्षक कार्यक्रम**:
   - वर्ष **2020** में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो एक समुदाय-आधारित संरक्षण पहल है।
   - इसके अंतर्गत स्थानीय लोगों को स्कीमर और अन्य नदी के किनारे घोंसला बनाने वाले पक्षियों की घोंसले की कॉलोनियों को शिकारियों और मवेशियों के रौंदने से बचाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
2. **इंडियन स्कीमर काउंट**:
   - **बर्ड काउंट इंडिया** के सहयोग से **बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी** (BHNS) ने 'इंडियन स्कीमर काउंट' नामक एक नागरिक विज्ञान पहल शुरू की है।
   - इसमें भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में जनसंख्या की स्थिति और वितरण को समझने के लिए दो चरणों में चयनित स्थलों पर समन्वित गणना शामिल है।

समुद्री परिवहन 2024 की समीक्षा
Maritime Transport 2024 Review

हाल ही में **संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट)** द्वारा **समुद्री परिवहन 2024 की समीक्षा - समुद्री चोकपॉइंट्स पर नेविगेशन रिपोर्ट** जारी की गई है।

मुख्य निष्कर्ष:

- **वैश्विक समुद्री व्यापार**: 2023 में 2.4% बढ़ने की उम्मीद है, जो 2022 के संकुचन से उबरने का संकेत है, लेकिन सुधार अभी भी नाजुक है।
- **चोकपॉइंट्स में व्यवधान**: जैसे **स्वेज और पनामा नहरों** में महत्वपूर्ण समुद्री अवरोध बिंदुओं को अशांतकारी व्यवधानों का सामना करना पड़ा है।

चोकपॉइंट्स के बारे में:

चोकपॉइंट एक भौगोलिक विशेषता या मार्ग है, जैसे घाटी या जलडमरूमध्य, जो संकीर्ण और रणनीतिक होते हैं।

- **भू-रणनीतिक महत्व**:
  - **कनेक्टिविटी**: स्वेज नहर (भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है) यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है।
  - **ऊर्जा सुरक्षा**: होर्मुज जलडमरूमध्य (फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है) विश्व में पेट्रोलियम परिवहन का एक महत्वपूर्ण स्थान है।

व्यवधानों के पीछे प्रमुख कारण:

1. **जलवायु-प्रेरित निम्न जल स्तर**: उदाहरण के लिए, पनामा नहर, जो प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है।
2. **भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष**: जैसे यमन के हौथी विद्रोहियों ने बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य (लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है) में जहाजों पर हमला किया।

व्यवधानों के प्रभाव:

- **आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव**: जैसे भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति में कमी और लागत में वृद्धि।
- **लंबे मार्गों के कारण शिपिंग लागत में वृद्धि**: जैसे **केप ऑफ गुड होप** (अफ्रीका का दक्षिणी छोर) के आसपास मार्ग बदलना।

विश्व के अन्य प्रमुख चोकपॉइंट्स:

- **जिब्राल्टर जलडमरूमध्य**: भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है।
- **मलक्का जलडमरूमध्य**: हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है।
- **तुर्की जलडमरूमध्य** (बोस्पोरस और डार्डानेल्स): काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है।

निष्कर्ष: यह रिपोर्ट वैश्विक समुद्री व्यापार की स्थिति और समुद्री चोकपॉइंट्स पर होने वाले व्यवधानों के प्रभावों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। चोकपॉइंट्स की सुरक्षा और कुशलता वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इनके संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियों की आवश्यकता है।

डिस्लेक्सिया
Dyslexia

हाल ही में, **राष्ट्रव्यापी 'एक्ट4डिस्लेक्सिया'** अभियान के तहत, दिल्ली के प्रमुख स्मारकों जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक, तथा इंडिया गेट को डिस्लेक्सिया जागरूकता के लिए लाल रंग से प्रकाशित किया गया है।

डिस्लेक्सिया के बारे में:

- **परिभाषा**: डिस्लेक्सिया एक सीखने संबंधी विकार है, जिसमें वाणी ध्वनियों को पहचानने में समस्या के कारण पढ़ने में कठिनाई होती है। यह अक्षरों और शब्दों के बीच संबंध (डिकोडिंग) को समझने में भी कठिनाई उत्पन्न करता है। इसे पठन विकलांगता भी कहा जाता है।
- **कारण**: यह मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में व्यक्तिगत अंतर का परिणाम है जो भाषा को संसाधित करते हैं। डिस्लेक्सिया बुद्धि, श्रवण या दृष्टि संबंधी समस्याओं के कारण नहीं होता और इसे प्राय: 'धीमी गति से सीखने वाले सिंड्रोम' के रूप में गलत समझा जाता है।
- **आनुवंशिकी**: डिस्लेक्सिया अत्यधिक आनुवंशिक है और परिवारों में चलती है। यदि किसी माता-पिता में से किसी एक को डिस्लेक्सिया है, तो बच्चे को यह बीमारी विरासत में मिलने की 30% से 50% संभावना होती है।
- **मस्तिष्क के विकास में अंतर**: शोध से पता चलता है कि डिस्लेक्सिया से पीड़ित लोगों के मस्तिष्क की संरचना, कार्य और रसायन विज्ञान में अंतर होता है।
- **विकास में व्यवधान**: संक्रमण, विषाक्त पदार्थों के संपर्क और अन्य घटनाएं भ्रूण के विकास को बाधित कर सकती हैं, जिससे डिस्लेक्सिया के विकास की संभावना बढ़ जाती है।

कानूनी मान्यता:

- डिस्लेक्सिया सहित विशिष्ट शिक्षण विकलांगताओं को आधिकारिक तौर पर **विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016** के तहत मान्यता दी गई है। यह अधिनियम शिक्षा, रोजगार और जीवन के अन्य पहलुओं में समान अवसरों को अनिवार्य करता है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** इस जनादेश को पुष्ट करती है, जिसमें बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है। एनईपी 2020 के सुधारों में प्रारंभिक पहचान, शिक्षक क्षमता निर्माण, और छात्रों को आवश्यक सहायता और सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

निष्कर्ष: डिस्लेक्सिया एक महत्वपूर्ण शिक्षण विकार है, जिसे जागरूकता और सही पहचान की आवश्यकता है। 'एक्ट4डिस्लेक्सिया' जैसे अभियानों के माध्यम से समाज में इस विषय पर जागरूकता बढ़ाना और इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना आवश्यक है।

भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (LPAI)
Land Ports Authority of India (LPAI)

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल में भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (एलपीएआई) द्वारा 487 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एक नए यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया।

भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के बारे में:

- **स्थापना**: यह प्राधिकरण भूमि बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत गठित किया गया है।
- **उद्देश्य**: इसका गठन भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर यात्रियों और माल की सीमा पार आवाजाही के लिए सुविधाओं के विकास और प्रबंधन के लिए किया गया है।
- **अधिदेश**: यह भारत में सीमा अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है और भारत की सीमाओं पर कई एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) का प्रबंधन करता है।

संगठन:

- **अध्यक्ष और सदस्य**: अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।
- **कार्यकाल**: अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक होता है, या जब तक वे साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो।

कार्य: एलपीएआई का कार्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर यात्रियों और माल की सीमा पार आवाजाही के लिए सुविधाओं का विकास, स्वच्छता और प्रबंधन करना है।

नोडल मंत्रालय: यह प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

पेट्रापोल के बारे में मुख्य बातें:

- **महत्व**: पेट्रापोल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भूमि बंदरगाह है और यह भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है।
- **आवाजाही**: यह भारत का आठवां सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आव्रजन बंदरगाह भी है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच सालाना 23.5 लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है।

निष्कर्ष: भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण का उद्देश्य सीमापार आवाजाही को सुविधाजनक बनाना और सीमा अवसंरचना का विकास करना है, जो न केवल व्यापार को बढ़ावा देता है बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करता है। पेट्रापोल जैसे प्रमुख बंदरगाहों का विकास इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC

TEST SERIES

- 100+ Mock Test
- 78 Sectional Test
- 40+ years PYPs
- 60+ Current affairs

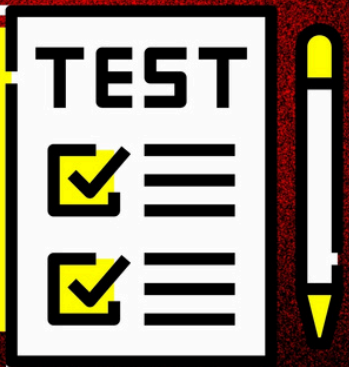

Only 99 Per Year

Buy Now

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY POLITY

1499 RS

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !